चित्रकूट हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु वन भूमि प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने अथवा परियोजना को fore close किए जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06 अगस्त, 2018 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति (संलग्न है)।

जनपद चित्रकूट स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में आच्छादित 63.269 है0 वन भूमि के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण विस्तारीकरण का कार्य अवरूद्ध है, जिससे कार्यदायी संस्था राइट्स लि0 द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में परियोजना के कार्यों को fore close करने अथवा वन भूमि प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने विषयक दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चयन के सम्बन्ध में विचार किया गया।

2- नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से अवगत कराया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह आपत्ति की जा रही है कि वन भूमि के बदले क्षतिपूरक रूप में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 63.269 हैक्टेयर भूमि में से लगभग 19.120 हैक्टेयर भूमि वन भूमि है, इस कारण औपचारिक अनुमति नहीं दी जा सकती है। भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई जितनी भूमि वन भूमि के अन्तर्गत आ रही है उतनी भूमि के समतुल्य दूसरी भूमि (जो वन भूमि न हो) का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

3- जिलाधिकारी, चित्रकूट की ओर से उपस्थित अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 19.120 हैक्टेयर भूमि अन्यत्र चिन्हित कर ली गई है और प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में डिजिटल मैप, टोपोशीट मैप, के0एम0एल0 फाइल तैयार कराकर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

4- बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1- योजना को fore close न किया जाए।

2- जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित 19.120 है0 भूमि हेतु डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाइल के साथ प्रस्ताव अपर प्रधान वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ को दिनांक 15.08.2018 तक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अपर प्रधान वन संरक्षक (केन्द्रीय) से इस प्रस्ताव को दिनांक 20.08.2018 तक अपनी संस्तुति सहित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का अनुरोध/अपेक्षा की गई।

4- अपर प्रधान वन संरक्षक (केन्द्रीय) से यह अनुरोध भी किया गया कि वे भारत सरकार में अपने स्तर से इस प्रकरण का अनुश्रवण करके स्वीकृति यथाशीघ्र निर्गत कराएंगे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या: 85/2018/1544/छप्पन-2018-2/13
लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
2- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।